परिवहन निगम मुख्यालय
लखनऊ।

पत्रांक-2783एमटी/19-26एमटी/16 दिनांक 6 सितम्बर, 2019

1–समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।
2–समस्त सेवा प्रबन्धक,
उ0प्र0 परिवहन निगम।
3– समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक (डिपो),
उ0प्र0 परिवहन निगम।

विषयः– बसों,बस स्टेशन एवं कार्यशाला प्रांगण की सफाई–धुलाई के सम्बन्ध में।

संयुक्त सचिव भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपने पत्र संख्या–RT-23018/48/2019-T दिनांक–21 अगस्त, 2019 के द्वारा पब्लिक ट्रान्सपोर्ट बसों, बस स्टेशनों एवं बस शेल्टर की सफाई व्यवस्था हेतु स्वच्छ भारत मिशन के तहत विशेष अभियान चलाकर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये है।

उक्त हेतु निम्नवत् निर्देश निर्गत किये जाते है :–

1. जिन डिपो में स्थान का अभाव है उनके अतिरिक्त सभी डिपो में आटोमेटिक बस वांशिग प्लांट अवश्य स्थापित करायें जायें।
2. डिपो में बसों एवं प्रांगण की सफाई के लिए किसी पर्यवेक्षक अथवा योग्य कार्मिक को नोडल बनाकर उसे उसके कार्य के साथ–साथ सफाई व्यवस्था की देख–रेख करने का दायित्व सौंपा जाये। रजिस्टर में प्रांगण की सफाई की तिथि एवं विवरण अंकित करते हुए नोडल पर्यवेक्षक से भी हस्ताक्षर कराये जाय। वाशिंग प्लांट पर बसों को लगाने के लिए डग ड्राइवर प्रत्येक समय उपलब्ध रहे जिससे नियमित धुलाई–सफाई होती रहे।
3. प्रत्येक दिवस प्रातः एवं सांयकाल धुलाई–सफाई व्यवस्था का निरीक्षण एवं समीक्षा कर सीनियर फोरमैन रजिस्टर पर हस्ताक्षर अवश्य करें।
4. सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक/सीनियर फोरमैन डिपो यह सुनिश्चित करेंगे कि सफाई ठेकेदार पर्याप्त कार्मिक सफाई व्यवस्था हेतु तैनात करें, डिपो में वाशिंग प्लांट पर डिटर्जेन्ट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे एवं सभी सफाई कार्मिक वर्दी में रहे।
5. सभी वाशिंग प्लांट पर लगे वाटर रिसाइक्लिंग प्लांट अवश्य कार्यरत रहे।
6. यह सुनिश्चित किया जाये कि बसों की बिना धुलाई–सफाई देखे हुए ड्यूटी स्लिप निर्गत न की जाये।
7. जिन बस स्टेशनों पर पानी की निकासी व पर्याप्त स्थान उपलब्ध है उन बस स्टेशनो पर परिपत्र संख्या–2209एमटी/2016–186एमटी/2015 दिनांक–05 जुलाई,2016 के प्राविधानों के अनुसार बस स्टेशन पर बसों की सफाई–धुलाई की व्यवस्था सुनिश्चित करें।
8. बस स्टेशन तथा कार्यशाला प्रांगण की सफाई उत्कृष्ट श्रेणी की रखी जाये तथा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि प्रांगण में तथा उसके बाहर पानी इकट्ठा न हो।
9. बस स्टेशनों तथा कार्यशाला में निर्मित यूरिनल्स के अलावा अन्य स्थान पर पेशाब करने वाले लोगों के लिए निषेध हेतु साइनेज लगवाना सुनिश्चित करें।
10. बस स्टेशन तथा कार्यशाला में निकलने वाले कूड़े के नियमित निस्पादन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

उपरोक्त के अतिरिक्त आपसे यह भी अपेक्षा है कि आप अपने क्षेत्र/डिपो के अन्य अधिकारियों तथा पर्यवेक्षकों को प्रेरित कर बसों एवं प्रांगण की सफाई–धुलाई हेतु विशेष अभियान अपने नेतृत्व में चलवायें। जिसमें यह अवश्य सुनिश्चित किया जाये, कि जो बसें कार्यशाला से मार्ग पर प्रस्थान करें, वह पूर्णतः स्वच्छ हों, उनके शीशे साफ हों एवं उनमें फ्रेशनर का छिड़काव किया जाये। प्रत्येक बस स्टेशन तथा कार्यशाला में विशेष सफाई अभियान चलवाकर भवन तथा प्रांगण की इस प्रकार की सफाई की जाये, जिससे कि यात्रियों को परिवर्तन दृष्टिगत हो एवं निगम की छवि उज्ज्वल हो सके।

जिन डिपो में बसों एवं प्रांगण की सफाई–धुलाई की समुचित व्यवस्था नहीं पायी गयी उसके लिए क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबन्धक, सेवा प्रबन्धक एवं सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। जिन स्थानों पर धुलाई–सफाई के ठेके के अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने वाली है, वहाँ पर समय रहते नये ठेके की कार्यवाही निष्पादित कर ली जाये। जिससे सफाई व्यवस्था निर्वाध रूप से चलती रहे।

(राधेश्याम)
अपर प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक/अपर प्रबन्ध निदेशक महोदय, परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ।
2. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(संचालन/प्रावि0), परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ ।
3. समस्त नोडल आधिकारी परिवहन निगम मुख्यालय लखनऊ ।

(राधेश्याम)
अपर प्रबन्ध निदेशक

Downloaded from www.upsrtc.com